न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—502/2016/223 (2016/00502)

1. श्रीमती तीजी पुत्री स्व0 चन्द्रा, जाति गुर्जर, निवासी जयसिंहपुरा—लोडियाना, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती ऐजी पुत्री सूजरमल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा—लोडियाना, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सूरजमल पुत्र स्व0 भारू,
2. नन्दराम उर्फ नन्दा पुत्र हरदेव,
   दोनों जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा—लोडियाना,तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ।
3. हल्का पटवारी लोडियाना, तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ।
4. सरपंच ग्राम पंचायत लोडियाना, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 12.11.2016 अंतर्गत वाद संख्या 70/2007.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 1·10·2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 128 राज0भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 233 खसरा संख्या 456 रकबा 0.1295 है0, खसरा संख्या 491 रकबा 0.1903 है0, खसरा संख्या 495 रकबा 0.0728 है0, खसरा संख्या 502 रकबा 0.1214 है0, खसरा संख्या 503 रकबा 0.2347 है0, खसरा संख्या 508 रकबा 0.1376 है0, खसरा संख्या 512 रकबा 0.1538 है0, खसरा संख्या 523 रकबा 0.1942 है0, खसरा संख्या 535 रकबा 0.2670 है0, खसरा संख्या 540 रकबा 0.1214 है0,

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

खसरा संख्या 541 रकबा 0.3278 है0, खसरा संख्या 542 रकबा 0.4087 है0, खसरा संख्या 1068/508 रकबा 0.0162 है0, खसरा संया 1069–512 रकबा 0.0243 है0, खसरा संख्या 1070/540 रकबा 0.0081 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 2.4078 है0 तथा खाता संख्या 165 खसरा संख्या 855 रकबा .4937 है0, खसरा नंबर 1089/855 रकबा 0.0162 है0, खसरा संख्या 1123/539 रकबा 0.1214 है0, खसरा संख्या 1124/540 रकबा 0.1457 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7770 है0 वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का लोडियाना, तहसील मसूदा हाल विजयनगर, जिला अजमेर में स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व अभिलेख में दर्ज आराजी जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजियात है जिसममें वादीगण का 2/3 हिस्सा की सहखातेदारी है जिस पर वादीगण काबिज चली आ रही है । प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 14.6.2007 को बैचान कर दी जो वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं आगे रहन, बैचान करने तथा निर्माण करने पर आमादा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को उसके का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । राजस्व अभिलेख से यह सिद्ध था कि वादग्रस्त आराजी वादिया संख्या 1 के पिता स्व0 चन्द्रा पुत्र सूरजमल के दादा एवं वादिया संख्या 2 के दादा भारू पुत्र उरजा गुर्जर की खातेदारी की आराजी होने से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा वर्तमान अपीलांटस का 2/3 हिस्सा है जिस पर वादीगण काबिल चली आ रही है तथा कब्जे अनुसार कानूनन बंटवारा कराने की हकदार है । अधी0न्याया0 ने लोक अदालत की मंशा के विपरीत जाकर एवं कानूनी की मंशा के विपरीत प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णित किया है जो निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात वादिया संख्या 1 के पिता स्व0 चन्द्रा पुत्र सूरजमल का स्वर्गवास होते ही वादिया संख्या 1 में स्वतः ही निहित हो चुकी है तथा वादिया संख्या 2 का स्वतः काल्पनिक हिस्सा निहित है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 की वृद्धावस्था एवं पारिवारिक सदस्यों का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पो0 संख्या 2 ने गैर कानूनी पूर्वक उक्त विक्रय पत्र बिना प्रतिफल एवं वादिया/अपीलांट के हिस्से का भी बैचान अपने नाम करवा लिया जो अपीलांटस के हितों के विरूद्ध होकर शून्य प्रभावी है । अधी0न्याया0 ने इस बाबत् निर्णय में कोई विवेचन नहीं कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सहखातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । राजस्व जमाबंदी में वादीगण के पिता व दादा व प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल वल्द भारू के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 नंदा गुर्जर ने चालाकी से प्रतिवादी की संख्या 1 वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से अपने हिस्से से अधिक का बैचान करवा लिया है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने वाद में विधिवत् कार्यवाही एवं सुनवाई की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने बाबत् किसी प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य मूल वाद में प्रस्तुत नहीं किये है । जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 में प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार दर्ज है । विवादित भूमियों का मूल खातेदार सूरजमल है । सूरजमल के जीवन काल में उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार रेस्पो0 संख्या 1 को है । जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गलत है क्योंकि अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण को शाहदत हेतु लगभग 12 अवसर प्रदान किये थे किन्तु उनके द्वारा शाहदत पेश नहीं की गई जिस पर अधी0न्याया0 ने वादी की शाहदत बंद की है । वादग्रस्त भूमियां सूरजमल व हरदेव की आवंटनशुदा भूमिया है जिनका उपयोग उपभोग करने का पूर्ण विधिक अधिकार सूरजमल व हरदेव के वारिसानों को प्राप्त है । वादग्रस्त आराजियात में अपीलांट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व अपीलांट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा नहीं है। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमियां रेस्पो0 संख्या 1 सूरजमल के नाम बतौर खातेदार मालिक दर्ज चली आ रही है । सूरजमल को अपने परिवार के भरण पोषण हेतु व अपीलांट के विवाह करने में व उनके अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में मायरा–भात भरने में लाखों रूपये खर्च हुए व अपीलांट के विवाह में व उनके बच्चों के विवाह में जेवरात आदि चढ़ाये जिनमें लाखों रूपये खर्च हुए है । उपरोक्त खर्चो में हुआ कर्ज चुकाने हेतु मजबूरन वादग्रस्त आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को बेचनी पड़ी है। रेस्पो0 संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति है जिसकी देखभाल रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा की जाती है इसी कारण उसे बेचान किया गया है । रेस्पो0 संख्या 2 को बिना प्रतिफल बैचान नहीं किया गया है । उक्त बैचान के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में इंद्राज हो चुका है । अपीलांटस ने उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की है । रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना अपीलांटस को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू0एल0एन0 2010 (3) पेज 470 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 के वाद पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात सहखातेदारी सहकाश्तकारी की आराजियात बताकर वादग्रस्त आराजियात में स्वंय का 2/3 हिस्सा होने का कथन कर वाद पेश किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात सूरजमल व हरदेव की आवंटित भूमियां है जिनका उपयोग उपभोग करने का पूर्ण विधिक अधिकार सूरजमल व हरदेव के वारिसानों को है । वादग्रस्त भूमियों में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व अपीलांट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा नहीं है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित 6 तनकियात कायम की है । वादीगण/अपीलांटस ने विवादित भूमियों को पुश्तैनी होने के आधार पर वादग्रस्त आराजियात में स्वंय का 2/3 हिस्सा होना अंकित किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 के

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

खाता संख्या नया 233 के खसरा नंबरान की भूमियां सूरजमल वल्द भारू कौम गूर्जर सा0देह खातेदार दर्ज है । अपीलांट संख्या 1 रेस्पो0 संख्या 1 सूरजमल की पुत्री तथा अपीलांट संख्या 2 पौत्री है । वादीगण/अपीलांटस ने विवादित आरायिजात पुश्तैनी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को विक्रय की है । जहां तक अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है वादीगण को साक्ष्य को साबित करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया था किन्तु वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वादीगण की साक्ष्य बंद की है । वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष शहादत को रेस्टोर कराने हेतु भी कोई प्रयास नहीं किया है । वादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अधी0न्याया0 ने प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 1.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर